



वेग से



Moh
22/11/19


पार्षी की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्र सिंह यूष्कर द्वारा
साधनापत्र नमस्तु कट अवगत कराया कि पक्षकारक के मध्य
राजीनामा ले जाने से साधनापत्र को अब आगे चलाना
नहीं चाहिए है। साथ ही इकरण में वकील पार्षी ने
नोट जेस भी लिया गया। अतः पार्षी का साधना
पत्र नोट जेस में खसिज लिमा जा रहा है। पत्रावली
केवल शुभाद बिकट नम्रता से कम है।


उपखण्ड अधिकारी
डूंगला